## -:प्रेस नोट:-

**दिनांक-17.09.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप 06 अलग-अलग मामलों में 10 अभियुक्तों को कारावास सहित 16 हजार 250 रुपए के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

**विवरण**– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **ऑपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप **06 अलग-अलग मामलों में 10 अभियुक्तों को कारावास सहित 16 हजार 250 रुपए के जुर्मानें** से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्नवत् है-

**अभियोग-**

1. थाना बदौसा में **पंजीकृत अभियोग 154/01** धारा 353/352/504/506 भादवि के अभियुक्त **छेदीलाल पुत्र जगन्नाथ** निवासी जमुनियां पुरवा अशं पौहार थाना बदौसा जनपद बांदा को 02 वर्ष के कारावास सहित कुल **5500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना कोतवाली देहात में **पंजीकृत अभियोग 156/22** धारा 279/337/333/427 भादवि के अभियुक्त **बच्छराज कुशवाहा पुत्र रामसनेही कुशवाहा** निवासी उमरहनी थाना बबेरु जनपद बांदा को कुल **3750/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना मरका में **पंजीकृत अभियोग 135/05** धारा 224 भादवि के अभियुक्त **रामकिशोर उर्फ बडकौना पुत्र केशपत** निवासी बैरफ थाना मरका जनपद बांदा को **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
4. थाना कमासिन में **पंजीकृत अभियोग 01/06** धारा 323/504 भादवि के 04 अभियुक्तों 1-**नत्थु पुत्र लुकुवा, 2-रामकेश पुत्र गंगवा, 3-बिन्दा पुत्र मंगलवा व 4-शिवलोचन पुत्र झंडी** निवासीगण जामू थाना कमासिन जनपद बांदा को कुल **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
5. थाना बबेरु में **पंजीकृत अभियोग 66/01** धारा 323/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-**मुकीम खां पुत्र अलमा खां निवासी हरदौली थाना बबेरु व 2-हसरत खां पुत्र अली बहादुर निवासी पन्नाह थाना मरका** जनपद बांदा को कुल **3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
6. थाना मरका में **पंजीकृत अभियोग 182/09** धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त **अजय पाल पुत्र रणजीत द्विवेदी** निवासी भभुआ थाना मरका जनपद बांदा को **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।